

डिक्री बमूकदमें इब्तदाइ  
( आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी )  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर  
पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 145/2022

वादी

1. मनीराम पुत्र नानूराम
2. दिनेश पुत्र नानूराम जातियान जाट निवासी छापड़ा तहसील डेह जिला नागौर,

**बनाम**

प्रतिवादीगण

1. नानूराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी छापड़ा तहसील डेह जिला नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

**दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति -


- 1- वादी संख्या 1 व 2 से की ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्रीमति प्रियंका नहवाल एडवोकेट



: डिक्री आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्रीमति प्रियंका नहवाल एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 1959/159 रकबा 1.7324 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 दिनेश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 1958/159 रकबा 1.7324 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 नानूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 1957/159 रकबा 0.0560 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता व खसरा नम्बर 1982/1492 रकबा 0.3637 हैक्टेयर जो खातेदारी में है, यथावत रखे गये है।

  
सहायक कलक्टर  
(ए.डी.ओ.) जायल